रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 19, 1985/पौष 29, 1906
No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 19, 1985/PAUSA 29, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1985

सा. का. नि. 36(अ):—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1968 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशाखापत्तनम न्यास के न्यासीमंडल में विशाखापत्तनम स्टील परियोजना का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रबन्ध निदेशक, विशाखापत्तनम स्टील परियोजना के

बदले अध्यक्ष-व-प्रबन्ध निदेशक, विशाखापत्तनम स्टील परियोजना को न्यासी नियुक्त करती है और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 234(अ), दिनांक 29 मार्च, 1984 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 12 के सामने, शब्दों "प्रबन्ध निदेशक, विशाखापत्तनम स्टील परियोजना, विशाखापत्तनम" के बदले, "अध्यक्ष-व, प्रबन्ध निदेशक, विशाखापत्तनम स्टील परियोजना, विशाखापत्तनम", शब्द रखे जायंगे ।

[फाइल सं. पी डब्ल्यू/पी टी बी-28/83]

पी. वी. राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 1985

G.S.R. 36(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the Chairman-cum-Managing Director, Visakhapatnam Steel Project, Visakhapatnam, a Trustee to represent the Visakhapatnam Steel Project, on the Board of Trustees of the Port of Visakhapatnam vice the Managing Director, Visakhapatnam Steel Project, Visakhapatnam and makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Ports Wing) No G.S.R. 234(E), dated 29th March, 1984, namely :—

In the said Notification, against Serial Number 12, for the words "Managing Director, Visakhapatnam Steel Project, Visakhapatnam", the words "Chairman-cum-Managing Director, Visakhapatnam Steel Project, Visakhapatnam", shall be substituted.

[F. No. PW/PTB-28/83]

P. V. RAO, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985